राज्य सैक्टर/टी0एस0पी0
संख्या– 1437/XV-2/1(17)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 4 जून, 2010

विषय– वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–31 आयोजनागत (टी0एस0पी0) अन्तर्गत महिला डेरी विकास येाजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–491–92/लेखा–प्रस्ताव आयो0टीएसपी/2010–11, दिनांक 21–05–2010, पत्र संख्या–501/लेखा–प्रस्ताव आयो0टीएसपी/2010–11, दिनांक 24–05–2010, एवं प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30–03–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में डेरी विभाग को आयोजनागत पक्ष में महिला डेरी विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों में उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 2.70 लाख (रूपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0स0	नाम मद	प्रस्तावित धनराशि
1.	महिला दुग्ध समितियों का गठन	40,400/–
2.	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	2,05,200/–
3.	प्रपोप्लसन चार्जेज	2,400/–
4.	एक्सटेन्शन एण्ड ट्रेंनिग प्रोग्राम	22,000/–
	योग –	**2,70,000/–**

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जाये।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन कर किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस हेतु यह धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अवमुक्त की जा रही धनराशि का माह मार्च, 2011 के अन्त तक प्रत्येक दशा में उपयोग कर लिया जाय। अवशेष की स्थिति में धनराशि कोषागार में जमा कर शासन को अवगत कराया जाय।
5. अवमुक्त धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जाय।
6. उक्तानुसार धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि अनावश्यक रूप से बैंकों में पार्किंग के रूप में न रखी जाय।
7. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–02–महिला डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

2–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–103(P)/वित्त–4/2010, दिनांक 31 मई, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 1437/XV-2/1(07)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
5. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
6. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
7. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।